

# केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

पेंशन पाने वाले व्यक्ति द्वारा पेश किये जाने वाला प्रमाण-पत्र

## 1. जीवित रहने का प्रमाण-पत्र

मैं, प्रमाणित करता/करती हूँ कि पेंशन भोगी श्री/श्रीमती.....  
पेंशन अदायगी आदेश संख्या (पी.पी.ओ).....को देखा है एवं वह वर्तमान तिथि में जीवित है।

स्थान : अधिकृत अधिकारी का नाम.....  
तारीख : पदनाम.....  
मोहर.....

## 2. पुनर्विवाह/विवाह न करने का प्रमाण-पत्र (केवल पारिवारिक पेंशनर्स)

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ/ मैंने पिछले एक वर्ष में विवाह नहीं किया है।

पेंशन भोगी के हस्ताक्षर.....

## 3. गैर नियोजन/पुनर्नियोजन के प्रमाण-पत्र का प्रारूप

क) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं मई/नवम्बर, 20.... को समाप्त हुई अर्द्ध-वार्षिकी के दौरान किसी सरकारी विभाग कार्यालय/केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा संघ क्षेत्र अथवा स्थानीय निधि का कम्पनी, निगम स्वायत्त निकाय अथवा समिति में किसी पद पर कार्य नहीं कर रहा/रही हूँ।  
अथवा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....के कार्यालय में नियोजित/पुनर्नियोजित हुआ हूँ/हुई हूँ  
जो कि.....सरकार का एक भाग है.....सरकार द्वारा वित्त पोषित है और मई/नवम्बर  
20.... को समाप्त हुई वार्षिकी में परिलब्धियों प्राप्त की हैं।

ख) मैं, यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने भारत में कोई व्यवसायिक रोजगार स्वीकार नहीं किया है।  
अथवा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि केंद्रीय सरकार को पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात भारत में व्यवसायिक रोजगार स्वीकार किया है एवं सरकार द्वारा इसके साथ लगाई किसी भी शर्त, यदि कोई हो, का उल्लंघन नहीं किया है।  
टिप्पणी—यह घोषणा सेवा-निवृत्ति की तारीख से दो अवधि के लिए देने की आवश्यकता है।

ग) मैं, यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने भारत के बाहर किसी सरकार के अधीन, किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन, जिसका भारत सरकार सदस्य नहीं है, का कोई नियोजन स्वीकार नहीं किया है।

'क' और 'ख' पर दिए गये प्रमाण-पत्र केवल सेवा निवृत्त गये ग्रुप 'क' अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत करने होंगे।

पेंशनर आधार सं.....  
पेंशनर PAN सं.....  
मोबाइल नं.....  
स्थान.....  
तारीख.....

हस्ताक्षर.....  
पेंशन भोगी का नाम.....  
पी.पी.ओ नं.....  
बचत खाता सं.....  
पता (पिनकोड सहित).....

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा  
(लेखा विभाग)

फा.सं. 3-लेखा/2022-23/

दिनांक : 18.10.2022

सेवा में,

समस्त सेवानिवृत्त कार्मिक एवं फ़ैमिली पेंशनर  
केंद्रीय हिंदी संस्थान,  
आगरा-282005

विषय : जीवन प्रमाण पत्र को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं कर-निर्धारण वर्ष  
2023-24 की आयकर की गणना के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न जीवन प्रमाण पत्र(लाइफ सर्टीफिकेट) को राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर भिजवाने की कृपा करें। संलग्न प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही नवम्बर, 2022 की पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

वर्ष 2023-24 के आयकर की गणना के लिए व्यक्तिगत आय एवं बचत, जीवन बीमा, बॉण्ड, पी.पी.एफ. इत्यादि की 2-2 फोटो प्रतियाँ मुख्यालय में दिनांक 20.11.2022 तक भिजवाने की कृपा करें। उपरोक्त जानकारी प्राप्त न होने पर इस कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर आयकर की गणना कर पेंशन से आयकर की कटौती कर ली जायेगी।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय  
18/10/22  
(नन्द किशोर शर्मा)  
लेखाधिकारी(सं)

नोट :- जीवन प्रमाण माह नवम्बर, 2022 में ही प्रमाणित करवाया जाए। इससे पूर्व की तिथि का जीवन प्रमाण मान्य नहीं होगा। साथ ही कृपया पैन कार्ड की छाया प्रति, मोबाइल नं. एवं ई-मेल आई.डी.(यदि उपलब्ध हो) की सूचना अवश्य देने की कृपा करें।